17.5.26 उभय पक्ष उपस्थित। वाद-पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार पक्की डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
फैसला को इजलास सुनाया गया।

GCMS
2017/00321

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 89/2017 GCMS:- 2017/00321 दायर दिनांक : 04.05.2017

1. मम्मे खां पुत्र गुलामखां (मृतक)

1/1. राजबी पत्नी मोहम्म्द रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/2. नूर बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बिलाल खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/3. सरदारा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी इशे खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/4. नियामत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/5. गुलाम मेशां पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ़

1/6. भूरा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बग्गू खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़

1/7. शराफा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झल्लार तहसील सूरतगढ़

1/8. रहमत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अकबर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़

1/9. गुफ्फार बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/10. हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़

1/11. अब्दूल हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/12. मुस्ताक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/13. मोहम्मद इशाक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. शरीफा पत्नी स्व. सोहने खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
3. शेरमोहम्मद पुत्र स्व. सोहनेखां (मृतक)
   - 3/1.प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
   - 3/2.मदिना
   - 3/3.इशाक मोहम्मद
   - 3/4.हजरत फिजा

   (3/2 से 3/4: पि0 शेरमोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद)
4. लाली पुत्री स्व. सोहनेखां
5. नेका पुत्री स्व. सोहनेखां

(1 से 5: निवासीयान ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.))

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92—ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषकगण वादीगण
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 17.04.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी मम्मेखां (वर्तमान में मृतक) ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92—ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 185 में 34 बीघा भूमि का आवंटन दस साला किया गया जिसकी पास—बुक भी जारी की गई। आवंटन के अनुसरण में खसरा नं. 185 के उत्तर दिशा की 34 बीघा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर भूमि को सुधार कर काबिल काश्त किया जो कि विशिष्ट रूप से खसरा नं. 185/1 दर्शायी जाकर वादी की 34 बीघा भूमि काश्त में रही। वादी [illegible] 185/185/1 से नया बना खसरा नं. 594/185 में 8.602 है0 [illegible] पर काबिज है जो कि नक्शा में खसरा नं. 185 दर्ज है। वर्तमान में [illegible] के नाम रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 7[illegible] के खाता सं. 330/570 में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खसरा नं. 594/185 में 8.602 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मौका पर कब्जा काश्त है व मौका पर कुण्ड बना हुआ है। सड़क से उत्तर की ओर कुण्ड के साथ लगती अधिकतर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 के पिता सोहनेखां की खसरा नं. 185 में रास्ता से दक्षिण की तरफ 50 बीघा भूमि है जिसका तरमीम खसरा नं. 596/185 बना है, जिस पर वे काबिज काश्त हैं। वादी की सुधरी हुई भूमि देखकर प्रतिवादीगण, जिनकी वर्तमान में रोही ठुकराना के खसरा नं. 596/185 में भूमि है, वे एक ही पूर्व खसरा नं. 185 का लाभ उठाकर वादी की भूमि में जबरन प्रवेश कर रहे हैं व वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। वादी अंकित काश्तकार है। अपने नाम अंकित भूमि, जो खसरा नं. 594/185 में स्थित है, को बतौर काश्तकार काश्त करने का अधिकारी है व अपने खसरे की सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकारी है, इसलिए वादी ने अपने नाम अंकित रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 594/185 में 8.602 है0 बारानी भूमि, जो पूर्व खसरा नं. 185 से बनी है व सड़क से उत्तर की ओर खसरे की अन्तिम सीमा तक स्थित है, के वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करने व ना ही किसी अन्य से कराने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। बाद आने जवाब प्रतिवादी शेरमोहम्मद के फौत होने के बाद उनके वारिसों को प्रतिवादीगण सं. 3/1 से 3/4 अंकित कर तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 3/1, 3/3 व 3/4 के विरुद्ध दिनांक 17.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया कि वादी रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा सं. पुराना 185 नया 594/185 की 34.00 [illegible] भूमि का खातेदार कृषक है? (वादी)

(2) आया कि वादी को आवंटित रोही ठुकराना के खसरा सं. 185/185/1 से बाद में नया खसरा सं. 594/185 बना है ? (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3) आया कि वादी का कब्जा अंकित खसरे की भूमि खसरा सं. 185 में सड़क से उत्तर की ओर है तथा प्रतिवादीगण खसरा सं. 185 में रास्ता से दक्षिण की तरफ 50 बीघा है जिसका तरमीम खसरा सं. 596/185 बना है ? (प्रतिवादी)

(4) आया वादी वर्तमान रोही ठुकराना के खसरा सं. 594/185 की 34.00 बीघा का खातेदार अंकित काश्तकार होने से उक्त भूमि का कब्जा में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

(5) आया प्रतिवादीगण को रोही ठुकराना के खसरा 596/183 की 50.00 बीघा के खातेदार कृषक हैं, वह अपनी ही भूमि पर काबिज हैं ? (प्रतिवादी)

(6) आया वादी पूर्व में वाद वापस लेने के कारण अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ? (प्रतिवादी)

(7) आया पक्षकारान अंकित खातेदारी पर काबिज हैं एवं मदाखलत बेजां नहीं करने हेतु पाबन्द होने के पात्र हैं ? (प्रतिवादी)

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण की ओर से मोहम्मद इशाक व हकनिवाज ने शपथ–पत्र पर स्वयं के बयान प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाया व निवेदन किया कि मूल वादी मम्मेखां मुताबिक जमाबन्दी रोही ठुकराना के खसरा नं. 594/185 की 34.00 बीघा भूमि, जो जमाबन्दी में 8.602 है0 बारानी दर्ज है, का अंकित काश्तकार है। पूर्व खसरा नं. 185 के नक्शा का अवलोकन करवाया व वादी को अंकित काश्तकार के आधार पर खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त मानते हुए प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जेरवाद भूमि के कब्जा के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है व ना ही अंकित खसरा का मौका नक्शा प्रस्तुत किया गया है, इसलिए

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी को रोही ठुकराना के खसरा नं. 594/185 का क़ाश्तकार तो माना जा सकता है, किन्तु भूमि की स्थिति स्पष्ट ना होने से वाद सन्देह से परे साबित नहीं होने से वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – आया कि वादी रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा सं. पुराना 185 नया 594/185 की 34.00 बीघा भूमि का खातेदार कृषक है ?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा स्वयं के शपथ–पत्र व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 रोही ठुकराना खाता सं. 330/570 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें ममा वल्द गुलाम के नाम रोही ठुकराना के खसरा नं. 594/185 में 8.602 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसके प्रति उत्तर में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। वादी रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 594/185 का अंकित खातेदार काश्तकार है व वादी के कब्जा में है, जो कि दस्तावेजी रिकॉर्ड से सन्देह से परे साबित है। सत्यता की सोच दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार साबित है, इसलिए तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तनकी नं. (2) – आया कि वादी को आवंटित रोही ठुकराना के खसरा सं. 185/185/1 से बाद में नया खसरा सं. 594/185 बना है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा पटवारी द्वारा दी गई पास बुक की नकल पेश की गई है व ताईद में शपथ–पत्र दिया है जिसमें पूर्व में वादी प्रश्नगत भूमि के खसरा नं. 185/1 में खातेदार अंकित है। इसका विरोध भी प्रति शपथ–पत्र से नहीं किया गया। अतः तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया कि वादी [illegible] कब्[illegible] अंकित खसरे की भूमि खसरा सं. 185 में सड़क से उत्तर की ओर है व [illegible]तिवादीगण खसरा सं. 185 में रास्ता से दक्षिण की तरफ 50 बीघा है [illegible] तरमीम खसरा सं. 596/185 बना है ? (प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया वादी वर्तमान रोंही ठुकराना के खसरा सं. 594/185 की 34.00 बीघा का खातेदार अंकित काश्तकार होने से उक्त भूमि का कब्जा में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी व शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए हैं। दस्तावेजी साक्ष्य का दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर तनकी नं. 4 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया प्रतिवादीगण को रोही ठुकराना के खसरा 596/183 की 50.00 बीघा के खातेदार कृषक हैं, वह अपनी ही भूमि पर काबिज हैं ?

(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए, इसलिए तनकी नं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (6) – आया वादी पूर्व में वाद वापस लेने के कारण अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अथवा न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं किये गए। दोयम, अतिचार अथवा जबरन कब्जे की बार–बार कोशिश हो सकती है। वादी द्वारा पूर्व में वाद वापस लेने का कथन किया गया है व अदालत द्वारा स्वीकृति भी जाहिर की गई है। प्रतिवादी द्वारा वाद वापस लेने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही निषेधाज्ञा का वाद दोबारा नहीं लाया जा सकने बाबत न्याय निर्णय प्रस्तुत हुआ है। अतः तनकी नं. 6 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (7) – आया वादीगण अति. खातेदारी पर काबिज हैं एवं मदाखलत बेजां नहीं करने हेतु पाबन्द होने के पात्र हैं ? (प्रतिवादी)

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। वर्तमान में पक्षकारान अपने–अपने नाम अंकित भूमि खसरे में काबिज बताये जा रहे हैं, किन्तु वादी अपने नाम अंकित खसरे में मदाखलत बेजा' से पाबन्दी चाहता है, इसी अनुसार यह तनकी आंशिक बहक पक्षकारान निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1, 2 व 4 बहक वादी एवं तनकी नं. 3, 5 व 6 विरुद्ध प्रतिवादी तथा तनकी नं. 7 आंशिक बहक वादी व प्रतिवादी निर्णय होने वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 594/185 की 8.602 है0 बारानी भूमि, जो वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। विवाद की स्थिति में पक्षकारान अंकित भूमि का नक्शा व अपने–अपने खसरे व भूमि की सीमा अनुसार पैमाईश करवाने को स्वतंत्र हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.04.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. मम्मे खां पुत्र गुलामखां (मृतक)

1/1. राजबी पत्नी मोहम्द रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/2. नूर बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बिलाल खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/3. सरदारा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी इशे खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/4. नियामत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़

1/5. गुलाम मेशां पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी बिरधवाल हैड तहसील सूरतगढ़

1/6. भूरा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी बग्गू खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़

1/7. शराफा बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झल्लार तहसील सूरतगढ़

1/8. रहमत बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां पत्नी अकबर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़

1/9. गुफफार बेगम पुत्री मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/10. हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़

1/11. अब्दूल हकनवाज पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/12. मुस्ताक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

1/13. मोहम्मद इशाक खां पुत्र मोहम्मद रफी उर्फ मम्मेखां जाति मुसलमान निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–वादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

{डिक्री प्र.स. 89/2017 मम्मेखां (मृतक) जरिये वारिस राजबी वगैरह बनाम शरीफा व अन्य}

बनाम

1. शरीफा पत्नी स्व. सोहने खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र स्व. सोहने खां
3. शेरमोहम्मद पुत्र स्व. सोहनेखां (मृतक)
   - 3/1. प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
   - 3/2. मदिना
   - 3/3. इशाक मोहम्मद
   - 3/4. हजरत फिजा

   (3/2 से 3/4) पि0 शेरमोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता प्रवीना पत्नी शेरमोहम्मद
4. लाली पुत्री स्व. सोहनेखां
5. नेका पुत्री स्व. सोहनेखां

(1 से 5) निवासीयान ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 188, 92—ए व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 89 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 श्री राकेश सारस्वत** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 594/185 की 8.602 है0 बारानी भूमि, जो वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। विवाद की स्थिति में पक्षकारान अंकित भूमि का नक्शा व अपने—अपने खसरे व भूमि की सीमा अनुसार पैमाईश करवाने को स्वतंत्र हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़